शीर्ष प्राथमिकता/समयबद्ध
संख्या– 84 /सत्तर–3–2022–08(20)/2020

प्रेषक,

अब्दुल समद
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
उच्च शिक्षा, उ0प्र0,
प्रयागराज।

2. कुलसचिव,
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
उ0प्र0 शासन।

3. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग–3 लखनऊः दिनॉक 12 जनवरी, 2022

विषयः– कोविड–19 के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम हेतु दिशा निर्देश एवं उपाय।

महोदय,

कोविड–19 के बढ़ते संकमण को रोके जाने के सम्बन्ध में गृह (गोपन) अनुभाग–3 के संलग्न आदेश संख्या–70/2022–सीएक्स–3 दिनांक 10.01.2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गृह विभाग द्वारा कोविड–19 के बढ़ते संकमण को रोके जाने के सम्बन्ध में दिये गये कतिपय निर्देशों में अन्य बिन्दुओं के अलावा यह भी निर्देश दिया गया है कि समस्त सरकारी/निजी कार्यालय अधिकतम 50 प्रतिशत कर्मचारियों की क्षमता के साथ रोस्टर के आधार पर कार्य करेंगे एवं कार्यालय में कोविड हेल्प डेस्क अनिवार्य रूप से स्थापित किया जाये।

3– अतः अनुरोध है कि उक्त निर्देशों के साथ–साथ कोविड–19 के सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत मानक दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोपरि

भवदीय,
(अब्दुल समद)
विशेष सचिव।

संख्या– 84 (1)/सत्तर–3–2020, तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– निजी सचिव, मा0 उप मुख्यमंत्री उ0प्र0।
2– निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री उच्च शिक्षा उ0प्र0।
3– मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4– अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग उ0प्र0 शासन।
5– कुलपति, राज्य विश्वविद्यालय/निजी विश्वविद्यालय, उ0प्र0।
6– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
7– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8– गार्ड फाइल।

आज्ञा से
(हरेन्द्र कुमार सिंह)
उप सचिव।

डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ0प्र0)

पत्रांक : सा0प्र0/लो0अ0वि0–35/2022 दिनांक : जनवरी–13, 2022

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/निदेशक/समन्वयक, आवासीय परिसर।
2. समस्त प्राचार्य/प्रबन्धक, विश्वविद्यालयसे सम्बद्ध समस्त महाविद्यालय।
3. प्रोग्रामर, ई0डी0पी0 को इस आशय से प्रेषित कि सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों की कालेज लॉग–इन आई0डी0 पर प्रेषित करने तथा विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

(उमानाथ)
कुलसचिव

Scanned by CamScanner

संख्या – 84 / [illegible]-3-2022

प्रेषक

संख्या–70/2022–सीएक्स–3

दुर्गा शंकर मिश्र,
मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

समस्त मण्डलायुक्त/अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
समस्त पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक रेंज, उत्तर प्रदेश।
पुलिस आयुक्त, लखनऊ/गौतमबुद्धनगर/कानपुर/वाराणसी।
समस्त जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश

गृह (गोपन) अनुभाग–3 लखनऊ: दिनांक 10 जनवरी 2022

विषय:– कोविड–19 के बढ़ते संक्रमण को रोके जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया गृह (गोपन) अनुभाग–3 के आदेश संख्या–1054/2021–सीएक्स–3 दिनांक 19.06.2021 आदेश संख्या–2141/2021–सीएक्स–3, दिनांक 24.12.2021, आदेश संख्या–15/2022–सीएक्स–3, दिनांक 04.01.2022 आदेश संख्या–34/2022–सीएक्स–3 दिनांक 05.01.2022 तथा आदेश संख्या–69/2022–सीएक्स–3 दिनांक 09.01.2022 के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त वर्तमान में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत निम्नवत निर्देश निर्गत किये जाते हैं–

(1) हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों एवं बस अड्डों पर आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग व एन्टीजन टेस्ट एवं आवश्यकतानुसार आरटीपीसीआर टेस्ट कराया जाय, यदि किसी यात्री की रिपोर्ट [illegible] जाय एवं यात्री यदि लक्षणात्मक है, तो उन्हें पूर्ण चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। जनपद स्तर पर [illegible] प्रशासनिक व मेडिकल टीम [illegible] आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग कराना सुनिश्चित करेंगे एवं समुचित उपचार की व्यवस्था करायें। [illegible] किये जा रहे हैं।

(2) समस्त सरकारी कार्यालय, निजी कार्यालय [illegible] आधार पर कार्य करेंगे एवं कार्यालय में [illegible] किया जाय।

(3) निजी कार्यालय के कर्मचारी यदि कोविड [illegible] पाये जाते हैं तो उन्हें 07 दिन [illegible] अवधि का वेतन का भी भुगतान किया जाय [illegible]

भवदीय,

दुर्गा शंकर मिश्र
मुख्य सचिव

संख्या–70(1)/2022 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

(1) अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) प्रमुख स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
(3) पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
(4) अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ०प्र० शासन कृपया रेलवे स्टेशन व बस स्टेशन पर घनात्मक आय रोगियों के उपचार के सम्बन्ध में एस०ओ०पी० जारी कराने का कष्ट करें।
(5) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(6) प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(7) डिवीजनल रेल प्रबन्धक, महाप्रबन्धक, उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज एवं डिवीजनल रेल प्रबन्धक/महाप्रबन्धक, उत्तर रेलवे लखनऊ/डिवीजनल रेल प्रबन्धक/महाप्रबन्धक पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर।

आज्ञा से,

(अवनीश कुमार अवस्थी)
अपर मुख्य सचिव

श्री अरुण
11/1/22.

Scanned by CamScanner